

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
शिक्षा निदेशालय
DIRECTORATE OF EDUCATION

श्री विजयपुरम, दिनांक 30 सितम्बर, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एवं विनियमों का न्यूनीकरण सहित सांविधिक मानकों एवं शर्तों के निरंतर अनुपालन के साथ पात्र निजी विद्यालयों की मान्यता की अवधि को पाँच वर्ष करने के संबंध में।

शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन एतद् द्वारा संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत पात्र निजी विद्यालयों की मान्यता की अवधि एवं उसकी निरंतरता के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान जारी करते हैं।

1. मान्यता की अवधि

1. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से, दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, 1973, दिल्ली स्कूली शिक्षा नियमावली, 1973, जैसा कि प्रशासन के लिए लागू होंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमाली के तहत किसी पात्र निजी विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि इस कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा लागू होने वाली सभी सांविधिक और निर्धारित आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन किया जा रहा है।
- 1.2. पाँच वर्षों के लिए मान्यता प्रदान किए जाने का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए लागू होने वाली किसी भी सांविधिक शर्त से छूट दी गई है या उसमें कोई शिथिलता बरती गई है। प्रदान की गई मान्यता, मान्यता की पूरी अवधि के दौरान सभी शर्तों के अनुपालन की शर्त के अधीन रहेगा।

2. निरंतर अनुपालन

- 2.1. दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, दिल्ली स्कूली शिक्षा नियमावली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली के तहत निर्धारित मान्यता की सभी शर्तों को मान्यता की पूरी अवधि के दौरान अनुपालन करने की निरंतर जिम्मेदारी विद्यालय की होगी।
- 2.2. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि मान्यता की शर्तों के रूप में उस पर लागू होने वाले सभी सांविधिक प्रमाणपत्रों, अनुमोदनों, स्वीकृतियों और अन्य आवश्यकताओं का समय पर नवीनीकरण हो और उनकी वैधता निरंतर बनी रहे।
- 2.3. जहाँ किसी प्रमाणपत्र, अनापत्ति या अनुमोदन की वैधता अवधि मान्यता की अवधि से कम हो, वहाँ विद्यालय उसकी वैधता की समाप्ति से पहले उसका नवीनीकरण कराएगा और विभाग द्वारा निर्धारित माध्यम से नवीनीकृत दस्तावेज़ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

3. दस्तावेज़ीकरण और स्व-घोषणा

- 3.1. प्रचलित दस्तावेज़ीकरण फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक दस्तावेज़ सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से और निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- 3.2. खंड 3.1 में संदर्भित दस्तावेज़ों के अतिरिक्त, विद्यालय द्वारा सभी सांविधिक आवश्यकताओं और मान्यता की शर्तों के निरंतर अनुपालन किए जाने को प्रमाणित करते हुए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक वार्षिक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।



- 3.3. वार्षिक स्व-घोषणा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत की जाएगी और इसे विद्यालय द्वारा उसमें की गई घोषणाओं की सटीकता और निरंतर वैधता के संबंध में एक वचनपत्र माना जाएगा।

4. निरीक्षण एवं सत्यापन

- 4.1. मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय का नियमित वार्षिक प्रत्यक्ष निरीक्षण अनिवार्य नहीं होगा।
- 4.2. खण्ड 4.1 में बताए गए किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण, सत्यापन या मूल्यांकन किसी भी समय करने का अधिकार अपने पास रखेगा, जब भी ऐसा करना आवश्यक समझा जाएगा, जिसमें शिकायतों, विशिष्ट सूचनाओं, प्राप्त जानकारी या किसी अन्य प्रासंगिक परिस्थिति भी शामिल होंगे।
- 4.3. विद्यालय निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और ऐसी सूचना, अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुसार प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

5. मध्यावधि समीक्षा

- 5.1. पाँच वर्ष की मान्यता अवधि के तीसरे वर्ष के दौरान मध्यावधि समीक्षा की जाएगी।
- 5.2. मध्यावधि समीक्षा अथवा किसी भी अन्य प्रासंगिक इनपुट के आधार पर जब भी आवश्यक समझा जाए, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा।

6. गैर-अनुपालन और मान्यता रद्द करना

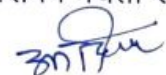
- 6.1. पाँच वर्षों के लिए मान्यता प्रदान किए जाने को विद्यालय द्वारा उस विद्यालय को पूरी अवधि तक मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में जारी रहने का कोई अविच्छेद्य या बिना शर्त अधिकार प्राप्त होना नहीं समझा जाएगा।
- 6.2. सांविधिक प्रावधानों, मान्यता की निर्धारित शर्तों या विद्यालय पर लागू आवश्यकताओं का सख्ती से अनुपालन न करने या निरंतर अनुपालन न करने पर, दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, दिल्ली स्कूली शिक्षा नियमावली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अन्य लागू नियमों के अनुसार, मान्यता वापस लेने सहित उचित कार्रवाई किए जाने के लिए विद्यालय उत्तरदायी होगा।
- 6.3. लागू विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संबंधित विद्यालय को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना उसकी मान्यता वापस लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

7. पाँच वर्षों के बाद निरंतरता/नवीनीकरण

- 7.1. मान्यता अवधि के पाँचवें वर्ष के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से विद्यालय, मान्यता की अवधि की निरंतरता/नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।
- 7.2. विद्यालय द्वारा मान्यता की अवधि समाप्त होने के कम से कम 180 दिन पूर्व ही मान्यता की निरंतरता/नवीनीकरण के लिए निर्धारित माध्यम से आवेदन किया जाएगा।
- 7.3. मान्यता की निरंतरता/नवीनीकरण तत्समय लागू सांविधिक और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निर्धारित मूल्यांकन के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर ही होगी।

8. वित्तीय सुरक्षा

- 8.1. प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में और राशि के सावधि जमा रसीद (FDR) प्रस्तुत करनी होगी। जिसकी वैधता संपूर्ण पाँच वर्षीय मान्यता अवधि के लिए होनी चाहिए।



8.2. सावधि जमा रसीद (IDR) सम्पूर्ण मान्यता अवधि के दौरान वैध रहेगा और मान्यता की शर्तों के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त विनीय सुरक्षा उपाय के रूप में जमा रहेगा।

9. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पहले से ही प्रदान की गई मान्यता

- 9.1. इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से पूर्व जारी किए गए किसी भी मान्यता आदेश में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्र निजी विद्यालयों को प्रदान किए गए सभी मान्यता आदेश, जो प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए थे, यहाँ इसमें निहित शर्तों के अनुसार, ऐसी मान्यता के प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक वैध बने रहेंगे।
- 9.2. तदनुसार, ऐसी मान्यता शैक्षणिक वर्ष 2030-31 के अंत तक वैध रहेगी, बशर्ते कि विद्यालय सभी लागू सांविधिक एवं निर्धारित शर्तों तथा इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों का निरंतर अनुपालन करता रहे।
- 9.3. इस खंड के तहत मान्यता की अवधि के विस्तार को स्कूल पर लागू होने वाली किसी भी सांविधिक आवश्यकता, प्रमाणपत्र, मंजूरी, शर्त या उसकी निरंतर अनुपालन के दायित्व से छूट नहीं समझा जाएगा।

10. सांविधिक शक्तियों की व्यावृत्तियाँ

- 10.1. इस कार्यालय ज्ञापन में निहित किसी भी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम, दिल्ली स्कूली शिक्षा नियमावली, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके अधीन बनाई गई नियमावली या किसी अन्य लागू विधि के तहत सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी भी शक्ति को सीमित, प्रतिबंधित या समाप्त कर दिया गया है।
- 10.2. मान्यता की सांविधिक शर्तों के निरंतर अनुपालन के शर्त पर प्रदान की गई मान्यता की पाँच-वर्षीय अवधि वैध होगी और गैर-अनुपालन के मामलों में सक्षम प्राधिकारी को विधि के अनुसार कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी।

11. अनुप्रयोज्यता

- 11.1. यह कार्यालय ज्ञापन शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।
- 11.2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान उन सभी पात्र अनुदान प्राप्त, गैर-अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय के निजी विद्यालयों पर लागू होंगे जो नई मान्यता प्रदान किए जाने या मान्यता की निरंतरता/नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं और जो कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पहले से प्रदान की गई मान्यता आदेश के खंड 9 में निहित विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

निदेशक (शिक्षा)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. सचिव (शिक्षा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के निजी सचिव को सचिव (शिक्षा) महोदय के सूचनार्थ।
3. अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों के बीच इस कार्यालय ज्ञापन को सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु परिचालित करने के निर्देश के साथ।

निदेशक (शिक्षा)

अंडमान और निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
शिक्षा निदेशालय
DIRECTORATE OF EDUCATION

Sri Vijaya Puram, dated 30th Sept, 2026.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of recognition to eligible private schools for a period of five years, subject to continuing compliance with statutory norms and conditions Ease of Doing Business and Deregulation.

The Directorate of Education, Andaman and Nicobar Administration, hereby issues the following provisions regarding the period and continuance of recognition of eligible private schools functioning in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

1. Period of Recognition

1. With effect from the Academic Year 2026–27, recognition granted to an eligible private school under the Delhi School Education Act, 1973, the Delhi School Education Rules, 1973, as applicable to the Administration, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, and the Rules made thereunder, shall ordinarily be valid for a period of five years, subject to the conditions specified in this Office Memorandum and the continued fulfilment of all applicable statutory and prescribed requirements.

1.2. The grant of recognition for five years shall not be construed as dispensing with or relaxing any statutory condition applicable to a recognised school. Recognition shall remain subject to continuing compliance throughout the period for which it is granted.

2. Continuing Compliance

2.1. The school shall remain continuously responsible for fulfilling all conditions of recognition prescribed under the DSE Act, DSE Rules, RTE Act and the Rules made thereunder throughout the entire period of recognition. 2.2. The school shall ensure the timely renewal and continued validity of all statutory certificates, approvals, clearances and other requirements applicable to it as conditions of recognition.

2.3. Where any certificate, clearance or approval has a validity period shorter than the period of recognition, the school shall obtain its renewal before expiry and furnish the renewed document to the competent authority through the mode prescribed by the Department.

3. Documentation and Self-Declaration

3.1. The essential documents prescribed under the prevailing documentation framework shall be furnished to the competent authority in the manner and within the time prescribed.

3.2. In addition to the documents referred to in clause 3.1, the school shall furnish one Annual Self-Declaration in each academic year, certifying continued compliance with all statutory requirements and conditions of recognition.



3.3. The Annual Self-Declaration shall be furnished in the prescribed form and manner and shall be treated as an undertaking by the school regarding the accuracy and continuing validity of the declarations made therein.

4. Inspection and Verification

4.1. Routine annual physical inspection of every recognised school shall not be mandatory.

4.2. Notwithstanding clause 4.1, the competent authority shall retain the power to undertake inspection, verification or assessment of any recognised school at any time, wherever considered necessary, including on the basis of complaints, specific inputs, information received or any other relevant circumstance.

4.3. The school shall remain open to inspection and shall furnish such information, records and documents as may be called for by the competent authority in accordance with law.

5. Mid-Term Review

5.1. A mid-term review shall be undertaken during the third year of the five-year recognition period.

5.2. Physical inspection shall be undertaken wherever considered necessary on the basis of the mid-term review or any other relevant input.

6. Non-Compliance and Withdrawal of Recognition

6.1. The grant of recognition for five years shall not confer any indefeasible or unconditional right upon the school to continue as a recognised school for the entire period.

6.2. Serious or persistent non-compliance with the statutory provisions, prescribed conditions of recognition or requirements applicable to the school shall render the school liable to appropriate action, including withdrawal of recognition, in accordance with the DSE Act, DSE Rules, RTE Act and other applicable Rules.

6.3. No order withdrawing recognition shall be passed without affording the concerned school a reasonable opportunity of being heard, in accordance with the applicable law and principles of natural justice.

7. Continuation/Renewal after Five Years

7.1. During the fifth year of the recognition period, the school shall apply electronically for continuation/renewal of recognition in the manner prescribed by the Department.

7.2. The school shall apply through the prescribed mode at least 180 days prior to the expiry of the recognition period for continuation/Renewal of the Recognition.

7.3. Continuation/renewal of recognition shall be subject to fulfilment of the statutory and prescribed conditions applicable at the relevant time and satisfactory completion of the prescribed assessment.

8. Financial Safeguard

8.1. Every recognized private school shall furnish a Fixed Deposit Receipt (FDR) valid for the entire five-year recognition period, in such form and for such amount as may be prescribed by the competent authority.

8.2. The FDR shall remain valid throughout the recognition period and shall constitute an additional financial safeguard for ensuring continued compliance with the conditions of recognition.

9. Recognition Already Granted for AY 2026-27

9.1. Notwithstanding anything contained in any recognition order issued prior to the date of this Office Memorandum, all recognition orders granted to eligible private schools for the Academic Year 2026-27, which were initially issued for a period of one year, shall, subject to the conditions contained herein, continue to remain valid for a period of five years from the date of commencement of such recognition.

9.2. Accordingly, such recognition shall remain valid up to the end of the Academic Year 2030-31, subject to the school's continued compliance with all applicable statutory and prescribed conditions and the provisions of this Office Memorandum.

9.3. The extension of the period of recognition under this clause shall not be construed as a waiver of any statutory requirement, certificate, clearance, condition or continuing obligation applicable to the school.

10. Savings of Statutory Powers

10.1. Nothing contained in this Office Memorandum shall be construed as limiting, restricting or extinguishing any power vested in the competent authority under the DSE Act, DSE Rules, RTE Act, the Rules made thereunder or any other applicable law.

10.2. The five-year period of recognition shall operate subject to the continued fulfilment of the statutory conditions of recognition and shall not prevent the competent authority from taking action, in accordance with law, in cases of non-compliance.

11. Applicability

11.1. This Office Memorandum shall take effect from the Academic Year 2026-27.

11.2. The provisions of this Office Memorandum shall apply to all eligible Aided, Unaided and Local Body private schools seeking grant of fresh recognition or continuation/renewal of recognition, subject to the specific provisions contained in Clause 9 in respect of recognition already granted for the Academic Year 2026-27.

Director (Education)

Copy to:

1. The Sr. PS to the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, for kind information of the Worthy Chief Secretary, please.
2. The PS to the Secretary (Education), Andaman and Nicobar Administration, for kind information of the Secretary (Education), please.
3. The Zonal Officers, Directorate of Education, Andaman and Nicobar Administration, with the direction to circulate this Office Memorandum among all private schools under their respective jurisdiction for information and necessary compliance.

Director (Education)